

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA,
EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (II) DATED
THE APRIL 2014)

Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
New Delhi, the 11th April, 2014

NOTIFICATION


S.O. _____ In exercise of powers conferred by Clauses (d) & (e) of section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Gautam Guha, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and Sh. Lov Verma, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar in place of Shri S.K. Srivastava and Sh. Keshav Desiraju respectively and for that purpose makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (ii) vide SO 2012(E) dated the 2nd July, 2013:

In the said notification, for serial numbers 4 & 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

“4. **Shri Gautam Guha,**
Additional Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.”

“7. **Shri Lov Verma,**
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi”

(File No. Z-28016/42/2013-SSH)


(Sundeep Kumar Nayak)

Joint Secretary to the Government of India

The General Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Ring Road,
New Delhi.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide SO 2012(E) dated 2nd July, 2013.

(भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-॥, खंड-3, उप-खंड ॥ में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11अप्रैल, 2014

अधिसूचना


का. आ. (अ.)- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन), 2012 (2012 के 37) द्वारा यथा संशोधित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 के 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खण्डों (घ) एवं (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर में श्री एस. के श्रीवास्तव और श्री केशव देसीराजु क्रमशः के स्थान पर श्री गौतम गुहा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को सदस्य के रूप में नामांकित करती है और इसके लिए दिनांक 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र के भाग-॥ खंड-3, उप-खंड (ii) देखें का. आ. 2013(ङ) में प्रकाशित दिनांक 2 जुलाई, 2013 के अधिसूचना संख्या जैड-28016/42/2013-एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 4 एवं 7 तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. एवं प्रविष्टि रखी जानी चाहिए,

अर्थात्:-

- "4. श्री गौतम गुहा,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।"
- "7. श्री लव वर्मा
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।"

[फा. सं. जैड-28016/42/2013-एसएसएच]


(संदीप कुमार नायक)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली।

11.4.2014

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का. आ. 2012((ङ), दिनांक 2 जुलाई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।